औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2006

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय–राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास के लिये औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006

आज बिहार राज्य को उद्योगों से भरा हुआ एक नया स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है। यहॉ नये–नये उद्योग लगाने तथा राज्य के रूग्ण एवं बन्द इकाई को यथा संभव पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य में आन्तरिक और देश के बाहर से निवेश आकर्षित करने के लिए बिहार में अनुकूल वातावरण बनाना होगा। इसी क्रम मे औद्योगिक नीति, 2003 की समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक नई औद्योगिक नीति बनाया जाय, जिससे राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास हो।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार उद्योग संघ, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय उद्योग संघ आदि और संबंधित सरकारी विभाग के साथ विचार–विमर्श कर एक नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 तैयार किया गया है। इस नीति को तैयार करने में विभिन्न राज्यों के औद्योगिक नीतियों को भी ध्यान में रखा गया है।

इस औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 में उत्पादन के पूर्व स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क तथा उत्पादन के बाद परियोजना प्रतिवेदन, भूखण्ड/शेड, तकनीकी जानकारी शुल्क, कैपटिभ पावर जेनरेशन/डीजल जेनरेटिंग सेट/गुणवत्ता प्रमाणन वैट लक्जरी कर, विद्युत शुल्क सम्पपरिवर्तन शुल्क, मंडीकर आदि पर अनुदान एवं सुविधा देने का प्रावधान है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के लागू होने से आशा की जाती है कि राज्य के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, एवं नियोजन के साथ–साथ त्वरित औद्योगिक विकास होगा।

1.2 कार्यनीति

(i) राज्य में उद्योग की स्थापना के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करना ताकि निवेशकों के बीच सकारात्मक संदेश का प्रवाह हो।

(ii) बिहार सिंगल विन्डो क्लियरेंश अधिनियम 2006– राज्य के संर्वांगिण विकास एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग के स्थापना के लिए द्रुत क्लियरेंश प्रक्रिया, अनुज्ञप्ति एवं प्रमाण पत्रों का निष्पादन किये जाने एवं साथ हीं बिहार राज्य के निवेशको को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण देने के उद्देश्य से संबंधित विषय या अन्य संबंधित विषय वस्तु के लिये बिहार सिंगल विन्डो क्लियरेस अधिनियम 2006 अधिनिमित किया गया है।

(iii) बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (अनेबलिंग) अधिनियम 2006–राज्य के भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना के तीव्र विकास एवं निजी प्रक्षेत्र की भागीदारी तथा प्रारूपण, वित्त पोषण, निर्माण, परिसंचालन, रख–रखाव आदि से संबंध विषयों का सर्वांगीन अधिनियम का प्रावधान ताकि प्रशासनिक प्रक्रियात्मक विलम्ब कम करने एवं विषय परियोजना जोखिम चिन्हित करने के लिये बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (अनेबलिंग) अधिनियम 2006 अधिनिमित किया गया है।

(iv) कारखाना के निरीक्षण को सरल करने के लिये स्व–प्रमाणन की व्यवस्था की जायेगी।

(v) श्रम कानून के जटीलता के कारण उद्योग के विकास पर कुप्रभाव पड़ता है। ऐसे श्रम कानून को सरल एवं विकासोन्मुख बनाया जायेगा।

(vi) मानव संसाधन का इस प्रकार विकास किया जायेगा जिससे उच्च कोटि के उद्यमिता का सृजन एवं प्रोत्साहन हो इसके अतिरिक्त विद्यमान विभिन्न संस्थानों को सुदृढीकरण किया जायेगा ताकि कुशलता का उन्नयन हो सके।

(vii) लैंड बैंक – उद्योग एवं विकास योजनाओं के लिये भूमि की आवश्यकता को देखते हुये राज्य में लैंड बैंक का सृजन किया जायेगा। इस बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार विभिन्न उद्योग एवं विकास योजनाओं के लिये भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

(viii) लघु, टाईनी, कुटिर उद्योग तथा हस्तकरधा एवं हस्तशील्प के विपणन की व्यवस्था की जायेगी।

(ix) अन्तराष्ट्रीय स्तर के आधारभूत सुविधा के सृजन हेतु उद्योग क्षेत्र के पूंजी निवेश को बढ़ाना तथा निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश को आमंत्रित करना एवं इस परियोजनार्थ पब्लिक प्राईवेट पार्टनशीप को प्रोत्साहित करना है।

(x) आधारभूत संरचना का विकास ।

(xi) रूग्न एवं बंद इकाईयों पुनर्वास हेतु स समय रूग्नता की पहचान कर समय पर आवश्यक उपाय करना तथा जिला स्तरीय अनुश्रवण प्रणाली विकशित कर रूग्नता रोकने का प्रयास करना।

(xii) हस्तशिल्प, हस्तकरघा, खादी, रेशम तथा ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति – 2006 की प्रोत्साहन सुविधायें

बिहार राज्य में औद्योगिक विकास में गति लाने एवं औद्योगिक विकास मे पूँजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन/छूट की सुविधाः–

1. उत्पादन के पूर्व (Pre-production) सुविधायें

स्टाम्प ड्यूट एवं पंजीकरण शुल्क :

औद्योगिक भूखंड/शेड एवं प्राधिकार क्षेत्र के बाहर स्थापित होने वाले उद्योगों आदि के लीज/बिक्री/अंतरण पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी/ पंजीकरण से टाईनी, लघु, मध्यम एवं वृहत उद्योगों को शत प्रतिशत (100 प्रतिशत) छूट होगा। यह सुविधा प्रथम बार ही देय होगा एवं तदोपरान्त किये जाने वाले लीज/विक्रय/अन्तरण पर स्टाम्प डूयूटी/पंजीकरण शूल्क की छूट देय नही होगी।

2. उत्पादन बाद (Post- Production) सुविधायें :

(i) परियोजना प्रतिवेदन प्रोत्साहन :

औद्योगिक इकाईयों द्वारा तैयार किये गए परियोजना प्रतिवदेन पर हुए व्यय की 50 प्रतिशत राशि (या, अधिकतम 75,000/–) प्रतिपूर्त्ति किया जयेगा। वशर्त्ते कि उपर्युक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी परामर्शी फर्म द्वारा बनाया गया हो। प्रतिपूर्त्ति राशि का भुगतान इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद देय होगी।

(ii) भूखंड/शेड पर दी जाने वाली सुविधायें :

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क/फूड पार्क/एग्रो एक्सपोर्ट जोन द्वारा आवंटित भूखंड/शेड के मूल्यों पर सभी पात्र इकाईयों को निम्न प्रकार प्रोत्सहान/अनुदान देय होगा। ये सुविधायें/रियायते औद्योगिक इकाईयों को व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद देय होगा।

सभी पात्र इकाईयों को निम्नवत् भूखंड से संबंधित रियायत उपलब्ध हो सकेगा।

क्र.सं.	उद्योग	अनुदान
1	लघु/टाईनी इकाईयॉ वित्तीय सीमा	50% या 7.50 lacs(Maximum)
2	सभी वृहत/मध्यम/मेगा इकाईयॉ वित्तीय सीमा	25% या 15.00 lacs(Maximum)

(iii) <u>तकनीकी जानकारी शुल्क पर आर्थिक सहायता</u> :

यदि कोई उद्यमी किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र/प्रयोगशाला अथवा संस्था से अपनी उद्योग के स्थापित करने या बढ़ाने हेतु तकनीकी जानकारी (Tech. Know-how)प्राप्त करते हैं तो उसे उपर्युक्त संस्थान/संगठन द्वारा शुल्क के रूप में ली गई राशि का 30% आर्थिक सहायता के रूप में अथवा अधिकतम सीमा रू0 15. 00(पन्द्रह लाख रुपये) प्रतिपूर्त्ति किया जायेगा। यह सुविधा इकाई के उत्पादनरत होने के पश्चात् देय होगी।

(iv) <u>कैपटिभ पावर जेनरेशन/डीजल जेनरेटिंग सेट पर किए गए पूँजी निवेश पर प्रोत्साहन अनुदान</u> :

कैपटिभ पावर जेनरेशन/डीजल जेनरेटिंग के स्थापना में प्लांट एवं मशीनरी पर हुए व्यय की राशि का पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) उद्योग को अनुदान देय होगा। इसके लिए अधिसीमा निर्धारित नही की गई है । यह सुविधा इकाई के उत्पादन में आने के बाद देय होगा ।

(v) नई औद्योगिक इकाईयों को स्वयं के उपयोग हेतु डी0जी0 सेट एवं कैपटिभ पावर इकाईयों से उत्पादित एवं उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विद्युत शुल्क की अदेयता से विमुक्ति प्रदान की जायेगी।

(vi) वैट की प्रतिपूर्ति की सुविधा/प्रोत्साहन– यह सुविधा लधु/वृहत/मध्यम उद्याोगों को देय होगी । पात्र औद्योगिक इकाईयों को राज्य सरकार द्वारा एक पासबुक निर्गत किया जायेगा,जिसमें वित्त (वाणिज्यकर विभाग) को बिहार भैट के मद में भुगतान की गयी करो का व्योरा रहेगा एवं जिसे वित्त (वाणिज्यकर) विभाग द्वारा परिशिष्ट–III में अंकित परिपत्र में सत्यापित किया जायेगा । उद्योग निदेशक औद्योगिक इकाई को सत्यापित प्रपत्र के आधार पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु प्राधिकृत होंगें ।

नई इकाईयों के लिए जमा की गई स्वीकृत वैट (VAT) की राशि के विरूद्ध 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सभी श्रेणीयों के उद्योगों को 10 वर्ष के अवधि के लिए किया जायेगा। प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि पूंजी निवेश का 300 प्रतिशत देय है।

स्पष्टीकरण : यह प्रोत्साहन राशि बिहार वित्त अधिनियम 1981/केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम 1993 के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति की राशि एवं निर्धारित कर तथा स्वीकृत कर में अन्तर की राशि पर देय नहीं होगी ।

(vii) शून्य भैट (जीरो भैट) :

शून्य भैट का अर्थ है वैसे आईटम का उत्पादन हो रहा हो जिस पर भैट नहीं लगता है । वैसी इकाईयों जो शून्य भैट आईटमों का उत्पादन करती हो तथा उनके द्वारा आयकर का भुगतान किया जाता हो को अधिष्ठापित क्षमता का 70 प्रतिशत (अधिकतम सीमा) उपयोग के आधार पर उपर्युक्त कंडिका (Vi) का प्रोत्साहन देय होगा । उपर्युक्त लाभ/प्रोत्साहन विभागीय तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण/अनुशंसा के पश्चात उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के अुनमोदनोपरान्त ही देय होगा ।

(viii) उपरोक्त अनुदान/छुट के अतिरिक्त पात्र लाभान्वितों को निम्नलिखित छूटों का प्रावधान है :

(क) लक्जरी टैक्स में सात वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की छूट
(ख) विद्युत शुल्क में सात वर्षो के लिए 100 प्रतिशत की छूट
(ग) सम्परिवर्तन/(कन्वर्जन) शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट
(ध) मंडी कर में सात वर्षो के लिए 100 प्रतिशत की छूट।

(ix) <u>विषम परिस्थितियों में कार्यरत इकाईयों को सुविधा</u>

ऐसी इकाई जो वषों से विषम परिस्थितियों में एवं वर्तमान में कार्यरत रहे है को स्वीकृत वैट राशि के विरूद्ध राज्य सरकार के खाता में जमा वैट की राशि का 25 (पचीस) प्रतिशत प्रतिपूर्ति किया जायेगा। यह प्रतिपूर्ति लगातार पॉच वर्षो की अवधि तक अनुमान्य होगा।

(x) उद्योग पुर्नवास निधि

रूग्न एवं बंद उद्योग को पुर्नजीवित करने के लिए वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार एवं बिहार उद्योग संघ के सहयोग से एक करपस निधि (फन्ड) की व्यवस्था की जायेगी।

(xi) <u>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विकलांग</u>

(क) इन वर्गो के उद्यमियों को अनुदान/छुट/प्रतिपूर्ति के रूप में इस नीति में निर्धारित सीमा से 5 प्रतिशत अधिक अनुमान्य होगा।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/बिकलांग श्रेणी के उद्यमियों जो लघु एवं अतिलघु उद्योग लगाते है, को तीस लाख रूपये प्रतिवर्ष टर्नओभर तक के लिए भैट के रूप में सरकार के खाता में जमा राशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दस वर्षो के लिये देय होगी।

(xii) **AMG/MMG से छूट** :

वर्त्तमान में कार्यरत इकाईयों तथा नई इकाईयों को AMG/MMG से छूट नई औद्योगिक नीति की घोषणा की तिथि से देय होगा। यह सुबिधा पॉच वर्षो के लिए देय होगा।

(xiii) **केन्द्रीय बिक्रीकर (CST)** :

बिहार में निबंधित लघु एवं मध्यम इकाईयों द्वारा उत्पादित सामग्रीयों पर केन्द्रीय बिक्रीकर मात्र एक प्रतिशत देय होगा।

3. औद्योगिक रूग्णता :

3.1 रूग्न इकाईयों का पुनर्वास

औद्योगिक रूग्णता ओद्योगिकरण की प्रक्रिया का एक अंग है । इसके फलस्वरूप बेरोजगारी, पूँजी का अवरूद्व होना, राजस्व की हानि एवं परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि कि उपयुक्त कदम उठाए जाएँ जिससे रूग्ण उद्योगों का पुनर्वास हो सके । सरकार इस संबंध में चिंतित है तथा रूग्णता को रोकने एवं रूग्ण इकाईयों का पुनर्वास करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जायेंगे ।

3.2 लघु प्रक्षेत्र :

(i) **राज्य स्तरीय कमिटी :**
लघु उद्योग के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शीर्ष संस्थान (स्टेट लेवल कमिटी) गठन करेगी । इसके सदस्य बैंक, वित्तीय संस्थान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उद्योग संघ के प्रतिनिधयों, सरकारी तंत्र एवं विशेषज्ञ होंगे ।

(ii) रूग्ण उद्योगों के पुनर्वास हेतु राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था को पर्याप्त वैधानिक शक्तियाँ प्रदत्त की जाएगी जिससे कि यह समिति अनुमोदित पुनर्वास पैकेज को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर सके ।

(iii) रिजर्व बैंक/आई0डी0बी0आई0(इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया)/एस.आई. डी.बी.आई. (SIDBI) के दिशा निर्देशों के अनुसार रूग्ण एवं लघु इकाईयों की पहचान की जाएगी । उनके पुनर्वास हेतु उपयुक्त पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया जाएगा ।

(iv) जिन रूग्ण इकाईयों का पुनर्वास हो रहा हो उन्हें प्रतिवर्ष रूग्णता प्रमाण पत्र नहीं लेना पड़ेगा । अनुमोदित पुनर्जीवन पैकेज प्रत्येक रूग्ण इकाई के लिए पुनर्जीवन की अवधि विनिर्दिष्ट करेगा ।

(v) राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था द्वारा पहचान किए गए रूग्ण इकाईयॉ ही पुनर्वास हेतु बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से रिजर्व बैंक के मार्ग–निर्देश के अनुसार मिलने वाले छूट एवं रियायत के पात्र होंगे । यह छूट एवं रियायत एक निश्चित सीमा के अन्दर देने पर विचार किया जायेगा ।

(vi) रूग्णता की पहचान एक समय सीमा के अन्दर कर निर्धारित अवधि में पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाएगा । राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था द्वारा रूग्ण एवं बंद इकाईयों के पुनर्वास प्रक्रिया का अनुश्रवण किया जायेगा ।

(viii) रूग्न एवं बंद इकाईयॉ जो पूर्व में किसी औद्योगिक नीति का लाभ उठाया हो,को पुनः दूसरी बार भी उस रूग्न एवं बंद इकाई को इस नीति के अन्तर्गत लाभ मिलेगा। अगर कोई रूग्न एवं बंद इकाई दूसरी बार औद्योगिक नीति का लाभ उठाना चाहता है तो उन्हें पूर्व रूग्न एवं बन्द इकाई के रूप में प्राप्त सुबिधाए की राशि की मात्रा तथा अब नई नीति के अनुसार प्रस्तावित देय राशि में जो अन्तर होगा, मात्र वही राशि देय होगी। परन्तु इस प्रकार की सुबिधा इकाई को पुर्नवास हेतु राज्य सरकार के द्वारा गठित संबंधित समिति की अनुशंसा पर ही देय होगा। इस प्रकार का सुबिधा इकाई को अधिकतम दो बार ही मिल सकती है।

(ix) **रूग्ण एवं बंद इकाईयों की देय सुविधा** – Annual Minimum Gurantee (AMG), Monthly Minimum Gurantee (MMG) एवं बिलंब अधिभार में छूट इकाई को रूग्न घोषित करने की तिथि से देय होगा। यह सुविधा पॉच वर्षो की अवधि के लिए मान्य होगा।

3.3 <u>वुहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र में रूग्णता:</u>

(i) उद्योग सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जो वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र में पुनर्जीवन की संभावना रखने वाले गैर बी0 आई0 एफ0 आर0 रूग्ण औद्योगिक इकाईयों एवं लोक उपक्रमों के लिए उपयुक्त उपाय करेगी । इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु यथावश्यक तथा नीतिगत वक्तव्य में वर्णित बिन्दुओं समेत रियायतों एवं सुविधाओं की अनुशंसा यह समिति करेगी एवं अनुशंसाऍ अन्तिम निर्णय हेतु राज्य सरकार के समक्ष मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले से गठित राज्य स्तरीय उच्च प्राधिकृत समिति के माध्यम से रखी जायेगी ।

(ii) बी0 आई0 एफ0 आर0 या आई0 आर0 बी0 आई0, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम (बिसिको), बिहार राज्य वित्त निगम (बी0 एस0 एफ0 सी0) तथा बैंक की अन्तसांस्थिक समिति द्वारा तैयार की गई पुनर्वास योजना के अन्तर्गत चुनी गई रियातें एवं सुविधाऍ उद्योग सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विचारार्थ एवं सरकार की अनुशंसा हेतु रखी जाएगी ।

(iii) रूग्ण इकाई का अर्थ ऐसी इकाई होगा जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद द्वारा निबंधित हो ।

(iv) बन्द औद्योगिक इकाई के सम्बन्ध में सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय ली जायेगी ।

(v) रूग्न एवं बंद इकाईयॉ जो पूर्व में किसी औद्योगिक नीति का लाभ उठाया हो,को पुनः दूसरी बार भी उस रूग्न एवं बंद इकाई को इस नीति के अन्तर्गत लाभ मिलेगा। अगर कोई रूग्न एवं बंद इकाई दूसरी बार औद्योगिक नीति का लाभ उठाना चाहता है तो उन्हें पूर्व में रूग्न एवं बन्द इकाईयां के रूप में प्राप्त सुबिधाए की राशि की मात्रा तथा अब नई नीति के अनुसार प्रस्तावित देय राशि में जो अन्तर होगा, मात्र वही राशि देय होगी। परन्तु इस प्रकार की सुबिधा इकाई को पुर्नवास हेतु राज्य सरकार के द्वारा गठित संबंधित समिति की अनुशंसा पर ही देय होगा। इस प्रकार का सुबिधा इकाई को अधिकतम दो बार ही मिल सकती है।

(vi) **रूग्ण एवं बंद इकाईयों की देय सुविधा** : Annual Minimum Gurantee (AMG), Monthly Minimum Gurantee (MMG) एवं बिलंब अधिभार में छूट इकाई को रूग्न घोषित करने की तिथि से देय होगा। यह सुविधा पॉच वर्षो की अवधि के लिए मान्य होगा।

4. <u>विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण करने वाली इकाईयाँ को सुविधा</u>

ऐसी विद्यमान इकाईयों जो अपने क्षमता का विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण करते हैं तो इंक्रीमेन्टल उत्पादन पर ऐसी इकाईयों को कंडिका–2 में वार्णित नई इकाईयों को देय सुविधा प्राप्त होगी ।

5. <u>**गुणवत्ता प्रमाणन पर प्रोत्साहन**</u> : राज्य में लधु उद्योग इकाईयों को गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टिकोण से आई0एस0ओ0 मानक (या इसके समतुल्य)राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याती प्राप्त संस्थाओं से प्रमाणन प्राप्त करने के क्रम में हुए व्यय का 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ।

6. सूचना प्रौद्योगिकी मिशन :

6.1 राज्य सरकार सूचना प्रोद्योगिकी उद्योगों के विकास के लिए आई0 टी0 मिशन चलायेगी जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नवत होगा :–

(i) आर्थिक विकास,
(ii) मानव संसाधन का विकास,
(iii) सरल,प्रभावी एवं पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना,
(iv) उन्नत संचार व्यवस्था ।

6.2 राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र कें तीव्र विकास के लिए निम्नांकित छूट/प्रोत्साहन दिया जायेगा :–

उद्योग स्थापना में प्रचलित कई नियम एवं नीति के मद्देनजर, सूचना प्रौद्वोगिकी क्षेत्र को इन नियमों एवं नीति से विमुक्त रखा जायेगा और इसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रावधान रहेगा ।इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर इकाईयों को निम्नांकित नियमों से वंचित रखा जायेगा।

(i) प्रदूषण नियंत्रण एक्ट भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार ही यह एक्ट प्रभावी होगा ।

(ii) वैधानिक पावर कट्स ,

(iii) स्थल के उद्देश्य से जोनिंग रेगूलेशन ।

आई0 टी0 उद्योगों को निम्नांकित अधिनियमों के अन्तर्गत निम्न प्रकार से छूट दी जायेगी :

(i) बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की अनुसूची–1 में सूचना प्रौघेगिकी उद्योग को जोड़ते हुए इसे अधिनियम की धारा 7,8 एवं 12(।) के अन्तर्गत छूट दी जायेगी । इसके द्वारा उक्त प्रतिष्ठानों में खोलने एवं बन्द करने के समय में, बिक्री के समय में, एंव सप्ताहिकी अवकाश में छूट प्रदान की जायेगी ।

(ii) कारखाना अधिनियम,1948 की धारा–66 के अन्तर्गत महिलाओं के कार्य अवधि को सूचना एंव प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठानों के लिए शिथिलिकृत किया जा सकेगा । इसके द्वारा महिलायें इन प्रतिष्ठानों में 6 बजे सुबह से 7 बजे संध्या तक कार्य करने के बजाय, 5 बजे सुबह से 10 बजे रात्रि तक कार्य कर सकेगीं ।

(iii) राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 87 के अन्तर्गत सूचना प्रौघोगिकी उद्योग को नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी ।

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को अधिनियम के अनुसूची में एक स्वतंत्र नियोजन के रुप में जोड़ा जायेगा तथा इसके अन्तर्गत कामगारों का अलग से वर्गीकरण किया जायेगा ।

6.3 सूचना प्रौद्योगिकी एवं बायोटेक्नोलॉजी उद्योग की राज्य में इकाईया स्थापित करने पर उन्हें इस नीति की कंडिका–2 की सुविधा देय होगी । इस प्रकार उद्योगों के लिए

उपलब्ध सभी प्रोत्साहन इन्फॉरमेंशन टेक्नोलॉजी उद्योगों और बायोटेक्नौलॉजी उद्योंगों के लिए भी स्वतः उपलब्ध होंगे ।

6.4 उद्योग विभाग द्वारा विशिष्ट रुप से सूचना प्रोद्योगिकी एवं बायोटेक्नोलॉजी को औद्योगिक क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित किया जायेगा।

7. हस्तकरघा प्रक्षेत्र

(i) विद्युत टेरीफ – बिहार राज्य में विद्युत करघा को अन्य राज्यों के विद्युत करघा प्रक्षेत्र से प्रतिस्पर्धात्मक होने के दृष्टि कोण से विद्युत टैरीफ में 75 पैसे प्रति युनिट का विद्युत अनुदान देने का प्रावधान किया जायेगा।

(ii) विद्युत करघाओं के लिये गुणवत्ता की विद्युत आपूर्त्ति आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(iii) बुनकरों के लिए कार्यशाला–सह–आवास योजना– बुनकर बहुल क्षेत्रों में कॉमन फेसिलिटी सेन्टर एवं बुनकरों को अपनी निजी जमीन नहीं होने पर सरकारी शेड का निर्माण की योजना कार्यान्वित की जायेगी। कलस्टर विकास परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध सारी सुविधा बुनकरों को उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षण की व्यवस्था इस योजना की तहत की जायेगी।

(iv) इन्टीग्रेटेड टेक्सटाईल्स पार्क की स्थापना – राज्य में टेक्सटाईल्स पार्क की स्थापना किया जायेगा। इसके स्थापना से डिजाईन इत्यादि में आवश्यक सुधार, गुणवत्ता के उन्नयन तथा विवणन में सहायता बुनकरों को मिल सकेगी।

(v) अरबन हाट की स्थापना – पटना में एक अरवन हाट की स्थापना की जायेगी जिसमें हस्तकरघा एवं हस्तशील्प सामग्रीयों की बिक्री की व्यवस्था होगी।

(vi) सेन्ट्रल प्रोसेसिंग प्लांट का पुर्नजीवन – सेन्ट्रल प्रोसेसिंग प्लांट, बिहारशरीफ तथा डाई एवं फिनिसिंग प्लांट, दरभंगा के पुर्नजीवन के व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी इसमें बुनकरो द्वारा उत्पादित वस्तुओं को डाईंग, फिनिसिंग एवं प्रोसेसिंग के लिये सुविधा मिलेगी।

(vii) बुनकरो के जिम्मे बकाया ऋण की राशि की प्रतिपूर्ति – हस्तकरघा प्रक्षेत्र के बुनकरो के जिम्मे बकाया ऋण की राशि की प्रतिपूर्ति एवं सूद माफी की योजना का कायान्वयन होगा।

8, आरक्षण नीति का अनुपालन

सरकार के आरक्षण नीति का अनुपालन करने वाले इकाईयों को वर्त्तमान नीति के अनुसार मिलने वाली सुवधिा से 10 प्रतिशत अधिक प्रोत्साहन राशि देय होगा।

9. अनुश्रवण एवं समीक्षा

एक महीने के अन्दर सभी संबंधित विभाग एवं संगठन इस नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु यथावश्यक अधिसूचनाएँ निर्गत करेंगे । राज्य सरकार द्वारा इसका समुचित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा जिसे राज्य सरकार इस नीति की मध्यावधि समीक्षा कर सकेगी ।

10. इस औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में मिलनेवाली प्रोत्साहन/अनुदान/सुविधा उन्हीं नई औद्योगिक इकाईयों पर लागू होगी जो दिनांक 1.4.2006 से पाँच वर्षों के बीच व्यवसायिक उत्पादन में आयेगी ।

11 परिशिष्ट–II में दिये गये सूची में वंचित उद्योग को कोई प्रोत्साहन/अनुदान देय नहीं होगा।

12. इस नीति में दिये जाने वाले प्रोत्साहन के लिये सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में एक समिति बनायी जायेगी, जिसके सदस्य उद्योग निदेशक, निदेशक, तकनीकी विकास, वाणिज्यकर विभाग एवं विद्युत बोर्ड के प्रतिनिधि (जहाँ आवश्यकता हो) एवं संबंधित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के प्रबन्ध निदेशक होंगे । इस समिति द्वारा इकाईयों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन पर निर्णय लिया जायेगा ।

13. परिशष्ट में दी गई संबंधित परिभाषाएँ इस नीति का अंश होगी ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति बिहार गजट के विशेष अंक, सुविख्यात पत्रिकाओं और समाचार–पत्रों में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचालित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(एस0 विजयराघवन)
औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 1162 पटना, दिनांक–15.07.2006

प्रतिलिपि– अनुलग्नक सहित अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय,गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेश अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000(एक हजार) प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

(एस0 विजयराघवन)
औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–1162 पटना, दिनांक–15.07.2006

प्रतिलिपि– अनुलग्नक सहित सभी विभाग/विभागध्यक्ष/वाणिज्य–कर आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग/प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के अधीन सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी गोमोद्योग बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार विद्युत पर्षद, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, उद्योग/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पाटलीपुत्र कॉलीनी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 विजयराघवन)
औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना

परिशिष्ट–1
(परिभाषाएँ)

1. **प्रभावी तिथि** :

प्रभावी तिथि से अभिप्रेत वह तिथि है जब से इस नीति के प्रावधान प्रभाव में आए अर्थात दिनांक 1.4.2006 से यह औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 पाँच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी ।

2. **औद्योगिक इकाई/औद्योगिक प्रतिष्ठान** :

औद्योगिक इकाई/औद्योगिक प्रतिष्ठान से अभिप्रेत ऐसी इकाई/प्रतिष्ठान से है जो निम्नांकित श्रेणी में आने वाली निर्माण/प्रसंस्करण/सेवा उद्योग में संलग्न हो अथवा संलग्न होने वाला हो ।

(क) समय–समय पर यथा संशोधित उद्योग (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में सूचीकृत उद्योग ।

(ख) निम्नांकित बोर्डों/अभिकरणों के दायरे में पड़ने वाले उद्योग ।

(1) लघु उद्योग बोर्ड
(2) क्वायर बोर्ड
(3) रेशम बोर्ड
(4) अखिल भारतीय हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्ड
(5) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
(6) औद्योगिक विकास हेतु केन्द्रीय सरकार अथवा बिहार सरकार द्वारा गठित कोई अन्य अभिकरण ।

(ग) **अन्य श्रेणियाँ** :

(1) खनन अथवा खनिज विकास ।

(2) किसी भी प्रकार की मशीनरी अथवा वाहन अथवा नौका अथवा मोटर वोट अथवा ट्रेलर अथवा ट्रैक्टर के रख–रखाव,मरम्मत, जाँच सर्विसिंग ।

(3) औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रांगण, समेकित आधारभूत संरचना विकास निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क/निर्यात प्रोत्साहन जोन अथवा ग्रोथ सेन्टर की स्थापना अथवा विकास ।

(4) औद्योगिक विकास की अभिवृद्धि हेतु विशिष्ट अथवा तकनीकी ज्ञान अथवा अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराना ।

(5) उद्योग के लिए इंजिनियरिंग, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधन, विपणन अथवा अन्य सेवाएँ, अथवा सुविधाएँ, प्रदान करना ।

(6) सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार अथवा सम्पर्क तथा श्रव्य अथवा दृश्य केबल संचार सहित इलेक्ट्रोनिक्स से संबंधित सेवा प्रदान करना।

(7) पर्यटन।

3. **विद्यमान औद्योगिक इकाई :**

''विद्यमान औद्योगिक इकाई'' से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जो वाणिज्यिक उत्पादन में है ।

4. **नई औद्योगिक इकाई :**

''नई औद्योगिक इकाई'' से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन कार्य दिनांक 1.4.2006 से पाँच वर्षों के बीच आरंभ हुआ हो ।

5. **अन्तरित इकाई :**

''अन्तरित इकाई'' से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसका स्वामित्व/प्रबंधन राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के प्रावधान के अनुसार अथवा वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के अनुमोदन से अन्तरित कर दिया गया हो।

6. **रूग्ण इकाई :**

''रूग्ण इकाई'' से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जिसे रूग्ण औद्योगिक कम्पनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्रचना बोर्ड अथवा शीर्ष लघु उद्योगों के लिए उद्योग निदेशक की अध्यक्षता वाली शीर्ष राज्य समिति द्वारा अथवा वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्रों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा रूग्ण घोषित किया गया हो।

7. **बन्द इकाई :**

''बन्द इकाई'' से अभिप्रेत है वैसी औद्योगिक इकाई जो इस नीति में अनुमान्य सुविधा हेतु दिए गए आवेदन की तिथि से कम से कम 5 (पाँच) वर्ष पहलें से लगातार बन्द

हो। बन्द होने का अभिप्राय होगा इकाई में सभी प्रकार का वाणिज्यिक उत्पादन बन्द होगा। ''बन्द'' होने का अभिप्रामाणन इस नीति की कंडिका–3 में वर्णित में, गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

8. <u>विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन</u> :

किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन से अभिप्रेत है उक्त विद्यमान इकाई में अचल पूँजी निवेश के अनवमूल्यित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिक राशि का संयत्र एवं मशीनरी में अतिरिक्त पूँजी निवेश, जिसके फलस्वरूप आरंभिक अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता से इंक्रीमेन्टल उत्पादन क्षमता 50 प्रतिशत से कम न हो। प्रोत्साहन योग्य होने के लिए विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन करने वाली इकाईयों का जिला महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जो भी लागू हो, को लघु उद्योग के संबंध में उद्योग निदेशक, निदेशक तकनीकी विकास को मध्यम एवं वृहत उद्योग के संबंध में विस्तार/ आधुनिकीकरण/विशााखन कार्य आरंभ करने के पूर्व सूचना भेजनी चाहिए । इस प्रकार की सूचना के साथ प्रस्तावित अतिरिक्त पूँजी निवेश की निश्चित अवधि दर्शाते हुए विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन का विवरणत्मक प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए ।

9. <u>अचल पूँजी निवेश</u> :

''अचल पूँजी निवेश'' से अभिप्रेत है भूमि, संयत्र एवं मशीनरी तथा स्थायी प्रकृति की उत्पादकता परिसम्पतियों में किये गये निवेश ।

10. <u>लघु उद्योग इकाई</u> :

''लघु उद्योग इकाई'' एक ऐसी औद्योगिक इकाई है जिसमें भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर तय की गई सीमा तक पूँजी निवेश किया गया हो ।

11. <u>आनुषंगिक औद्योगिक इकाई</u> :

''आनुषंगिक औद्योगिक इकाई'' ऐसी इकाई है जिसमें भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर तय की गई सीमा तक पूँजी निवेश किया गया हो ।

12. <u>उत्पादन की तिथि</u> :

किसी औद्योगिक इकाई में उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि का तात्पर्य उस तिथि से होगा जबसे इकाई वास्तव में उस सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया हो जिसके लिये वह निबंधित की गयी हो ।

लघु उद्योग इकाई के उत्पादन की तिथि के संबंध में संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा । उत्पादन की तिथि के संबंध में किसी विवाद् की स्थिति में निदेशक, उद्योग का निर्णय अंतिम होगा । वृहत एवं मध्यम उद्योगों के संबंध में निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा । उत्पादन की तिथि के संबंध में किसी विवाद् की स्थिति में औद्योगिक विकास आयुक्त/सचिव, उद्योग का निर्णय अंतिम होगा । जो औद्योगिक इकाईयॉ वाणिज्यिक उत्पादन में 1.4.2006 को अथवा उसके बाद आई है किन्तु जिन्होंने 1.4.2006 के पूर्व सारभूत अचल पूंजी निवेश किया है, उन्हें औद्योगिक प्रोत्साहन औद्योगिक नीति–2003(यदि उस नीति के अंतर्गत इसकी पात्रता रखती हो) अथवा इस औद्योगिक नीति के अर्न्तगत प्रोत्साहन/सहायता के पैकेज के लाभ प्राप्त करने का विकल्प रहेगा। वे दोनों नीतियों के आंशिक लाभ की हकदार नहीं होगी। बिहार गजट में इस नीति की अधिसूचना की तिथि से तीन महीने के अंदर इस प्रकार का लिखित विकल्प निदेशक, उद्योग या निदेशक,तकनीकी विकास को देना होगा।

परिशिष्ट–II
(वंचित इकाईयों की सूची)

1. राईस हॉलर
2. आटा मिलें जिनमें बेसन, दाल एवं चूड़ा मिलें सम्मिलित हैं (50 टन प्रति दिन से कम क्षमता वाली)
3. मशाले, पापड़ इत्यादि बनाना
4. कन्फेक्शनरी (यांत्रिकीकृत कन्फेक्शनरी को छोड़कर)
5. मिठाई एवं नमकीन इत्यादि बनाना
6. पावरोटी बनाना (यांत्रिकीकृत बेकारी को छोड़कर)
7. आईस कैंडी तथा आईस फ्रूट का उत्पादन
8. सुपारी का उत्पादन एवं प्रसंस्करण
9. पटाखा बनाने वाली इकाईयाँ
10. कोयला/कोक स्क्रीनिंग
11. जलावन की लकड़ी तथा चारकोल उत्पादन
12. पेन्टिंग तथा स्प्रे–पेन्टिंग इकाईयाँ
13. उर्वरकों का भौतिक मिश्रण करने वाली इकाईयाँ
14. ईंट बनाने वाली इकाईयाँ (रिफ्रैक्टरी ईंटें बनानेवाली तथा फ्लाई ऐश, लाल मिट्टी या समरूप औद्योगिक कचड़े से ईंटें बनाने वाली इकाईयों को छोड़कर)
15. कैनवास कपड़ों से तिरपाल का निर्माण
16. आरा मिल, तथा लकड़ी की चिराई
17. बढ़ईगिरी तथा लकड़ी के फर्नीचर बनाना
18. ड्रिलिंग रिंग्स, बोर वेल तथा ट्यूब वेल का अधिष्ठापन करने वाली इकाईयाँ
19. चाय को मिलाने या ब्लेंडिंग करने वाली इकाईयाँ
20. कच्चा तम्बाकू काटने एवं गुड़ का बुरादा बनाकर चबाने हेतु बनाने वाली तथा गुड़ाकू बनाने वाली इकाईयाँ
21. ड्रग्स, दवाओं/रसायनों का बिना प्रसंस्करण तथा मूल्य संबर्द्धन के बिना बोटलिंग/रिपैकिंग करने वाली इकाईयाँ (सूत्रीकरण तथा उत्पादक इकाईयों को छोड़कर)
22. किताबों की जिल्दसाजी

23. रबर स्टाम्प बनाना
24. नोट बुक तथा लिफाफे बनाना
25. फोटो कापी करना
26. स्टेंसिल करने वाली इकाईयाँ
27. स्टेंसिल के कागजों का प्रसंस्करण
28. डिस्टिल्ड वाटर बनाने वाली इकाईयाँ
29. दर्जीगिरी (रेडीमेड वस्त्र निर्माण करने वाली इकाईयों को छोड़कर)
30. बुने कपड़े से बुने बोरों की सिलाई करना तथा उसकी रिपैकिंग करना
31. लॉन्ड्री/ड्राईक्लीनिंग
32. फोटोग्राफी के स्टूडियो तथा प्रयोगशालाएँ
33. क्लिनिकल/पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएँ/नर्सिंग होम तथा क्लिनिक
34. ब्यूटी पार्लर
35. वीडियो पार्लर
36. मालवाहक
37. वीडियो/ऑडियो कैसेट रिकार्डिंग, घड़ीसाज की दुकान, वाहन मरम्मति तथा सर्विसिंग केन्द्र
38. चूना भट्ठा
39. पेट्रोल पम्प
40. मादक द्रव्य या मादक पेय

टिप्पणी

(i) उपरोक्त सूची में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगा ।

(ii) उपरोक्त सूची में किसी इकाई के होने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को होगा ।

ANNEXURE – III

**FORMAT OF PASSBOOK AS DETAILED IN PARA 2(VI)
OF THE INDUSTRIAL INCENTIVE POLICY 2006.**

1	2	3	4	5	6	7	8
Sl. No.	Month	Amount of Tax admitted under BVATA*/ CSTA*/BETA*	Amount paid against the amount admitted under BVATA*/ CSTA*/BETA*	Main/ Subsidiary headings under which admitted amount deposited	Challan no. & date with Name of Treasury	Name & Designation of certifying officer	Signature with date & seal
TOTAL							

***BVATA = Bihar Value Added Tax Act 2005**
***CSTA = Central Sales Tax Act**
***BETA = Bihar Entry Tax Act.**

Note: The passbook entries must be certified by the concerned Commercial Taxes Officer in charge of the circle.